न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर०ए०एस०)

अपील संख्या :— 42/2012 (223 आर०टी०एक्ट०)
आरसीएमएस संख्या :— 2012/00092

उनवान

1. शिव सिंह
2. कमल सिंह
3. दयाराम
4. दशरथ सिंह
5. कुंवर सिंह

} पिसरान भंवर सिंह जाति कछवाया ठाकुर निवासी चहल तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..................अपीलाण्ट

बनाम

1. फूली सिंह पत्नि राम सिंह
2. हुकम
3. हरी
4. देवी

} पिसरान राम सिंह

5. केशर पत्नि हरेती

} जाति कछवाया नि० कस्बा बयाना जिला भरतपुर।

6. उदय सिंह पुत्र हरेती (फौत)
   - 6/1. श्यामो पत्नी स्व0 उदय सिंह
   - 6/2. कम्पोटर पुत्र स्व0 उदय सिंह
   - 6/3. बबली पुत्री स्व0 उदय सिंह
   - 6/4. मल्ला पुत्री स्व0 उदय सिंह
   - 6/5. सपना पुत्री स्व0 उदय सिंह
   - 6/6. सोनो पुत्री स्व0 उदय सिंह

   } जाति कछवाया नि0 सूरोठ तह0 हिण्डौन, करौली।
7. चिरंजी पुत्र हरेती (लावल्द विला औरत फौत)
8. अतर सिंह
9. निरंजन

} पिसरान हरेती जाति कछवाया नि0 कस्बा बयाना जिला भरतपुर।

10. कपूरी बेवा भगवत जाति गूजर निवासी कनावर तहसील बयाना
11. रमेश पुत्र भग्वल गूजर(फौत)
    - 11/1. बत्तनदेवी पत्नी स्व0 रमेश
    - 11/2. विजेन्द्र आयु 19 साल पुत्र स्व0 रमेश

    } जाति गूजर नि0 कनावर तह0 बयाना।
    - 11/3. पारस आयु 15 साल पुत्र स्व0 रमेश
    - 11/4. लक्ष्मी आयु 11 वर्ष पुत्री स्व0 रमेश
    - 11/5. अनीता आयु 8 साल पुत्री स्व0 रमेश

    } जाति गूजर नाबालिगान जरिये सरपरस्त माता बत्तन देवी बेवा रमेश निवासी कनावर।
12. महाराज सिंह आयु 45 साल पुत्र मुंशी जाति गूजर निवासी दुर्गसी तहसील हिण्डौन ।
13. सब रजिस्टर बयाना।
14. कप्तान कौर पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति गूजर निवासी कनावर तहसील बयाना।

..................रैस्पोंडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.05.2012 प्रकरण संख्या 83/2008 उनवान शिव सिंह बनाम फूली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अभिभाषकगण :–

1. श्री नरेश कुमार गौड अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–14.10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 21.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 951 मिन रकबा 03 बीघा। जिसका हाल बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम शेरगढ तहसील बयाना में स्थित है। जिसके 11/12 भाग के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 10 के पति भगवत पुत्र गूला रहा है। उक्त विवादित आराजी के 11/12 भाग को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 से वादीगण/अपीलाण्ट ने दिनांक 03.08.1992 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है तथा इसी तरह उक्त विवादित आराजी के 1/12 भाग को वादीगण अपीलाण्ट ने प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 10 के पति भगवत पुत्र गूला से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.03.1991 को क्रय किया है एवं तभी से विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। दोनों विक्रय पत्रो का नामान्तकरण भी खुल चुका है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती अथवा सहवन से उक्त विवादित आराजीयात के खातेदारी इंद्राज राजस्व रिकार्ड में वादीगण/अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं हो पाया। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02, 03, 04 ने उक्त विवादित आराजीयात को जो पूर्व में वादीगण/अपीलाण्ट को विक्रय की जा चुकी है। पुनः प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 11 व 12 को एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करा दिया एवं दौराने वाद प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 12 ने प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 14 को उक्त विवादित आराजीयात का रजिस्टर्ड बयनामा करा दिया जो खिलाफ मौका व कानून है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बावजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नही आये। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी को रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया था एवं उक्त बयनामा की पालना में दाखिल खारिज संख्या 107 व 82 दर्ज होकर तस्दीक हो चुका है एवं ताहाल वर्तमान विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के वादपत्र को रैस्पो0 द्वारा किसी भी प्रकार से कन्टेस्ट नहीं किया गया एवं ना ही जवाब दावा ही पेश किया गया। इस प्रकार उनकी मूक सहमति रही है। क्योंकि उनका मौके पर कब्जा ही नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। रैस्पो0 हस्तगत अपील में भी हाजिर अदालत नहीं रहे हैं और

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

ना ही अपना कोई पक्ष रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल सिविल न्यायालय में दावा करने का आधार बताते हुये दावा अपीलाण्ट खारिज किये जाने में कानूनी भूल की है। जबकि अपीलाण्ट के पक्ष में हुये नामान्तकरण संख्या 107 व 82 की पालना में खातेदारी अधिकारो की घोषणा किया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट का दावा खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् था ना कि बयनामा निरस्त कराने बाबत् एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है ना कि सिविल न्यायालय को। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा क्षेत्राधिकार का ना होना माना जाकर खारिज करने में अहम त्रुटि की है। अन्त में अपने तर्को के समर्थन में आरआरडी 1982 पेज 299 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलाण्ट का दावा यह अंकित करते हुये खारिज किया गया है कि वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को मनसूख किये जाने के लिये सिविल न्यायालय में दावा करना चाहिये था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को मनसूख किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। हमने गौर किया। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से तो सहमत हैं कि पंजीयन दस्तावेज नल एण्ड वॉईड किये जाने का क्षेत्राधिकार, राजस्व न्यायालय को नहीं है। परन्तु अपीलाधीन वाद में मुख्य अनुतोष पंजीकृत विक्रय दस्तावेज निरस्त कराये जाने बाबत् नहीं, अपितु खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का है। अपीलाण्ट/वादी द्वारा वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 का प्रस्तुत किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को सरसरी तौर पर निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/वादी व रैस्पो0/प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित परस्पर विरोधी विक्रय पत्रों के प्रभाव का अध्ययन करते हुए, अपीलाण्ट/वादी के अधिकारों की घोषणा बाबत् परीक्षण किया जाना न्यायहित में वांछनीय हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2012 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर पुनः विधि अनुसार तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6 निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प बयाना